कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/273/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर, दिनांक 04/05/2020

रायपुर जिला अंतर्गत रायपुर नगर निगम के थाना सरस्वती नगर क्षेत्र के कुकुरबेड़ा अंतर्गत 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार क्षेत्रों–

1. सांईस कालेज हास्टल रोड,
2. पंडित रविशंकर मुख्य द्वार,
3. कुकुरबेड़ा जाने का मार्ग हनुमान मंदिर,
4. डुमरतालाब आमानाका,
5. ओव्हर ब्रिज के नीचे डागा ए.सी. दुकान व नया मस्जिद,
6. पंडित दीनदयाल आडिटोरियम गेट

को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें।
2. प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
3. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
5. कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जावेगी।

B- कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है –

1. केवल 01 प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग–
   संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर

2. कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था–
   आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर

3. घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन –
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर

4. उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु श्री राजीव कुमार पांडे, संयुक्त कलेक्टर रायपुर प्रभारी अधिकारी रहेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ०ग०)

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक/273/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :–

रायपुर, दिनांक 04/05/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ0ग0) 04/05/20.

Scanned by CamScanner